रजिस्ट्री सं. डी—(डीएन)—128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 21, 1991 (अग्रहायण 30, 1913)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 21, 1991 (AGRAHAYANA 30, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	893
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	1561
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	11
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	1977
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	1169
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचना और नोटिस . .	1376
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3651
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	109
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	893
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1551
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1977
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the *Select Committee on Bills*	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1169
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1375
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3851
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies	169
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1991

सं० 114-प्रेज/91—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लक्ष्मीनारायण सिंह,

हवलदार,

जिला रांची ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 जनवरी, 1989 को श्री रवीन्द्र कुमार, पुलिस सहायक अधीक्षक, रांची को श्री बारकू टिर्की नामक एक व्यक्ति ने सूचित किया कि जब वह मोरहाबादी मैदान होते हुए कलाल बस्ती की ओर जा रहा था तो छुरे और पिस्तौल लिए हुए तीन व्यक्तियों ने उसे अचानक रोककर घेर लिया और उसे धमकी दी कि वह अपनी मोटरसाइकिल से नीचे उतर जाए और उसकी मोटर साइकिल में बैठकर बोरया की ओर भाग पड़े । श्री रवीन्द्र कुमार ने तुरन्त सिटी कन्ट्रोल रूम को निर्देश दिया कि वे अपराधियों का पीछा करें । निर्देश मिलने पर श्री शिवाजी सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री सुरेश सिंह, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक को साथ लेकर एक जीप में निकल पड़े जबकि श्री रवीन्द्र कुमार, पुलिस सहायक अधीक्षक अपने अंगरक्षक, श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, हवलदार श्री एस० एन० चौहान, निरीक्षक तथा श्री एन० पी० सिंह, निरीक्षक को साथ लेकर अपने वाहन में रवाना हुए । बोड़ेया-कांके रोड पहुंचने पर उन्हें तीन बदमाश एक लाल रंग की मोटर साइकिल (सं० 7007) पर जाते हुए दिखाई दिए । पुलिस को अपने पीछे आते हुए देखकर वे और तेज भागने लगे । पुलिस सहायक अधीक्षक, रांची के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने बदमाशों के नजदीक पहुंचने पर उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा, परन्तु बदमाशों ने इसके जवाब में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिनमें से एक गोली श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, हवलदार को लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए । श्री सिंह दर्द और पीड़ा से विचलित हुए बिना और बैठ गए और उन्होंने गोली का जवाब गोली से दिया । इसी बीच पुलिस सहायक अधीक्षक, रांची, श्री रवीन्द्र कुमार, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक, सुरेश सिंह सभी ने अपराधियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके पास अपने को पुलिस दल के हवाले करने के अलावा और कोई चारा नहीं था । तलाशी लेने पर अपराधियों से दो देसी पिस्तौल, गोलाबारूद तथा एक छुरा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई । तीनों अपराधियों की राजू, संजय महतो तथा बसन्त महतो के रूप में शिनाख्त की गई और उन्हें इलाज के लिए आर० एम० सी० एच० अस्पताल भेजा गया, जहां उनमें से एक को डाक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया । श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, हवलदार को इलाज के लिए राज्य सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, हवलदार ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 जनवरी, 1989 से दिया जाएगा ।

सं० 115-प्रेज/91—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० के० शर्मा,

कमांडेंट,

28वीं बटालियन,

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री आर० के० शर्मा, कमांडेंट, 28वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, को 24-7-1988 को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ सशस्त्र आतंकवादी गांव गालोपुरा के एक फार्म हाउस में छिपे हुए हैं । श्री आर० के० शर्मा अपने साथियों सहित आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उस स्थान की ओर गए । जैसे ही यह दल उस फार्म हाउस के निकट पहुंचा, आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं । श्री शर्मा ने शीघ्र ही अपने दल को आदेश दिया कि वे पोजीशन ले लें और जवाब में गोलियां चलाएं । आतंकवादियों की ओर से हो रही भीषण गोली बारी के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बिना श्री शर्मा बहुत निपुणता के साथ आगे बढ़े । जब वे आतंकवादियों के छिपने के स्थान के निकट पहुंच गए तो उन्होंने आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से गोलाबारी की और उनमें से एक आतंकवादी को घटना स्थल पर ही मार डाला । पुलिस दल और आतंकवादियों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी होती रही । गोली बारी के दौरान दो अन्य आतंकवादी भी गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए । आतंकवादियों ने जब देखा कि वे अच्छी तरह घिर गए हैं तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया और इस दौरान वे पीछा करने वाले पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे । भीषण गोलाबारी की परवाह किए बिना श्री शर्मा, अपने दल के अन्य साथियों सहित आतंकवादियों का पीछा करते रहे । उन्होंने 4-5 कि० मी० तक उनका पीछा करना जारी रखा । भागने में से दो आतंकवादी मंड क्षेत्र में भाग निकलने के उद्देश्य से ब्यास नदी में कूद गए परन्तु वे नदी पार नहीं कर सके और हथियार सहित नदी में डूब गए । अन्य दो आतंकवादी भी घायल हो गए परन्तु वे मण्ड क्षेत्र में भाग निकलने में सफल हो गए । मृत उग्रवादी की लाश की ग्राम मारोवाल का सतनाम सिंह उर्फ सत्ता के रूप में पहचान की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री आर० के० शर्मा, कमांडेंट, 28वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जुलाई, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 116-प्रेज/91—राष्ट्रपति रेलवे पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० राजेन्द्रन पिल्लै (मरणोपरान्त)
नायक, रेलवे पुलिस बल,
दक्षिण रेलवे ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 जून, 1990 को श्री आर० राजेन्द्रन पिल्लै, नायक एर्नाकुलम में सीज चैक ड्यूटी पर थे । लगभग 0040 बजे जब श्रीमती वत्सला एर्नाकुलम जंक्शन पर एक गाड़ी में चढ़ रही थी, तब एक अपराधी ने उनकी जंजीर छीन ली । श्रीमती वत्सला तुरन्त जोर से चिल्लाई क्योंकि अपराधी उनकी जंजीर का एक टुकड़ा लेकर भाग निकला । श्री पिल्लै, ने जो इस घटना के समय प्लेटफार्म पर ड्यूटी पर थे, महिला और अन्य यात्रियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर श्री पिल्लै ने बहुत बड़ा व्यक्तिगत खतरा उठाकर अपराधी का पीछा किया । उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया और उसके (अपराधी) द्वारा गम्भीर परिणामों की धमकी देने तथा चाकू से चोट होने के बावजूद उसे पकड़े रखा । हाथापाई शुरू होने पर अपराधी ने श्री पिल्लै की छाती के बाईं ओर चाकू घोंप दिया, जो उनके हृदय के बाएं निलय में घुस गया और वह (अपराधी) बच निकला । श्री पिल्लै को मेडिकल ट्रस्ट हास्पिटल में लाया गया और गहन उपचार एकक में भर्ती किया गया । लेकिन सर्वोत्तम उपचार के बावजूद, जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।

इस घटना में श्री आर० राजेन्द्रन पिल्लै, नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 जून, 1990 से दिया जाएगा ।

सं० 117-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहम्मद मुस्तफा,
पुलिस सहायक अधीक्षक,
तरन-तारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19 नवम्बर, 1988 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि बलजीत सिंह के गिरोह के कुछ आतंकवादी ग्राम चुगियाल तथा भाई लाधू के मध्यवर्ती क्षेत्र में छिपे हुए हैं, पंजाब पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के एक संयुक्त दल ने मोहम्मद मुस्तफा, पुलिस सहायक अधीक्षक सहित तलाशीन कार्य का अभियान शुरू किया । पुलिस बल को अलग-अलग ग्रुपों में बांटा गया । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व वाले दल पर भाई लाधू के फार्म हाउस के अन्दर से उग्रवादियों ने गोली चलाई । पुलिस दल द्वारा भारी मात्रा में गोली-बारी किए जाने के फलस्वरूप उग्रवादियों ने भाई लाधू गांव की ओर भागना शुरू कर दिया । दोनों ओर से भारी गोली-बारी के बावजूद, श्री मुस्तफा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया । अपने को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर आतंकवादियों ने गन्ने के खेत में घुसने की कोशिश की । श्री मुस्तफा ने आतंकवादियों पर गोली चलाई और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया । उनमें से तीन आतंकवादी पक्का खाल की ओट लेते हुए पीछे हट गए और शेष दो ने कच्चा-पक्का खाल में मोर्चा सम्भालकर राकेट लांचर से ऊपर की पुलिस बल पर गोली बरसाने शुरू कर दिया तथा स्वचालित राइफलों से गोलीबारी भी शुरू कर दी । श्री मुस्तफा रेंगते हुए आगे बढ़े और उस स्थान के नजदीक पहुंचे, जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे । श्री मुस्तफा दो आतंकवादियों को धराशाही करने में सफल हो गए । शेष 3 आतंकवादी, जो पक्का खाल पर मोर्चा संभाले हुए थे, पुलिस बल पर गोलीबारी करते रहे । लगभग आधे घण्टे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं, जिसके परिणामस्वरूप शेष तीन आतंकवादी भी मारे गए । कुल मिलाकर पांच आतंकवादी मारे गए । उनमें से तीन की बाद में गुरदेव सिंह, गुरनाम सिंह तथा बलजीत सिंह के रूप में शिनाख्त की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद मुस्तफा, पुलिस सहायक अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 नवम्बर, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 118-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सीता राम,
पुलिस उप-अधीक्षक,
तरनतारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

6 अगस्त, 1989 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 33वीं बटालियन के कमांडेंट संदिग्ध फार्म हाउसों/डेरों की जांच करने के लिए अपनी सुरक्षा पार्टी और पंजाब पुलिस के कार्मिकों के साथ खडूर साहिब के ग्राम तुलछीपुर की ओर जा रहे थे । करीब 11.45 बजे पूर्वाह्न को जब पुलिस दल खडूर साहिब गांव के एक गुरचैन सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाउस के निकट पहुंचा तो फार्म हाउस के अन्दर से पुलिस दल पर भीषण गोली-बारी की गई । पुलिस दल अपने वाहनों से उतर गया, मोर्चे संभाल लिए और आत्म रक्षा में जवाबी गोली-बारी की । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 33वीं बटालियन के कमांडेंट ने नियंत्रण कक्ष, अमृतसर को इस बारे में सूचित किया तथा कुमुक बल भेजी ।

कुछ समय पश्चात्, तरन-तारन के पुलिस उप-अधीक्षक श्री सीता राम अपने अन्य अधिकारियों/साथियों सहित घटना स्थल पर पहुंच गए तथा स्थिति का निरीक्षण किया । वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार वह अपने अनुरक्षकारियों तथा केन्द्रीय पुलिस बल के कार्मिकों सहित फार्म हाउस की छत पर चढ़ गए । श्री सीता राम ने छत में छेद बनाने के बाद उसमें से गोलियां चलाईं ।

मुठभेड़ लगभग 5 घंटे तक चली । श्री सीता राम की छाती में दिल के ठीक नीचे गोली लगने के घाव हो गए तथा उनको अमृतसर के एस० जी० टी० बी० हस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया । जब उग्रवादियों की ओर से गोली बारी होनी बन्द हो गई तो वहां तलाशी ली गई और उग्रवादियों के तीन शव बरामद किए गए । मुठभेड़ के स्थान से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में श्री सीता राम, पुलिस उप-अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अगस्त, 1989 से दिया जाएगा ।

सं० 119-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री करनैल सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला फिरोजपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

तरनतारन में तैनात पुलिस उप-अधीक्षक श्री करनैल सिंह 20 फरवरी, 1991 को छुट्टी पर थे तथा जिला फिरोजपुर स्थित फतेहगढ़ कोरोटाना, नामक अपने गांव में थे। वे अपने परिवार के तथा उसी गांव के इकबाल सिंह और बलबीर सिंह नामक दो अतिथियों सहित वहां उपस्थित थे तथा वहीं बलबीर सिंह ने अपनी मारुती वैन घर के सामने सड़क के किनारे खड़ी की हुई थी। करीब 7.30 बजे अपराह्न तीन व्यक्ति चार दीवारी से कूद कर घर के अन्दर घुस गए। उनमें से एक के पास एक ए० के०-47 राइफल तथा कन्धे पर कारतूस पेटी थी जबकि अन्य दो के पास कोई हथियार नहीं था। जिस व्यक्ति के पास राइफल थी उसने चाबियों की मांग की क्योंकि घर के बाहर खड़ी उनकी जीप में ईंधन नहीं था। श्री करनैल सिंह ने उनसे कहा कि उनके पास ईंधन नहीं है। इस पर असाल्ट राईफल वाले व्यक्ति ने राईफल श्री करनैल सिंह के ऊपर तान दी और कहा कि वे ईंधन देते हैं अथवा नहीं। श्री करनैल सिंह ने तुरन्त राईफल को बैरल पकड़ ली और राईफल की नाल को ऊपर की ओर कर दिया। इस पर, जिस व्यक्ति ने राईफल पकड़ी हुई थी, उसने चार गोलियां चलाईं। इस दौरान श्री इकबाल सिंह तथा बलबीर सिंह अन्य दोनों व्यक्तियों के साथ जूझ पड़े। श्री करनैल सिंह ने अपने पैर से राईफल लिए हुए व्यक्ति के घुटने के पीछे जोर से मारा जिससे आतंकवादी नीचे गिर गया तथा श्री करनैल सिंह ने राईफल तथा कारतूस पेटी को अपने कब्जे में कर लिया। इस बीच उनमें से एक ने घर का बाहरी दरवाजा खोल दिया तथा तीनों भाग गये।

श्री करनैल सिंह तुरन्त घर की छत की तरफ दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने आतंकवादियों के चार साथियों को देखा, जो घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने स्वचालित हथियारों से श्री करनैल सिंह पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। उन्होंने (श्री करनैल सिंह) आतंकवादी से छीनी हुई एसाल्ट राईफल से उन पर जवाब में गोलियां चलाईं। इस बीच फतेहगढ़ कोरोटाना पुलिस पोस्ट में तैनात पुलिस कार्मिक तथा राईफल सहित कुछ ग्रामवासी वहां पहुंच गए तथा उन्होंने आतंकवादियों पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। आतंकवादी अपनी जीप को वहीं पर छोड़कर निकट के खेतों में भाग गए।

इस मुठभेड़ में श्री करनैल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा।

सं० 120-प्रेज/91-राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद:

श्री हरी राम भंगा,
पुलिस अधीक्षक (प्रचालन),
जिला मजीठा।

श्री पीताम्बर राम, (मरणोपरान्त)
कान्स्टेबल सं० 4567,
जिला मजीठा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22 नवम्बर, 1989 को पंजाब पुलिस/अर्ध सैनिक कार्मिकों (कान्स्टेबल पीताम्बर राम सहित) के साथ श्री हरी राम भंगा, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) गांव कालूमिला, थाना काथूनांगल क्षेत्र में तलाशी लेने का कार्य कर रहे थे। जब पुलिस दल एक फार्म हाउस के नजदीक पहुंचा तो गन्ने के खेतों में छिपे हुए उग्रवादियों ने पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं। श्री भंगा बाल-बाल बचे और उन्होंने बड़ी तत्परता से स्थिति का मुकाबला किया। उन्होंने उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं और अपने दल के कार्मिकों को निर्देश दिए कि वे उग्रवादियों की गोलीबारी को बेकार कर दें। गोली-बारी के दौरान कान्स्टेबल पीताम्बर राम उग्रवादियों के मोर्चे की ओर बढ़े और बहादुरी के साथ उन पर गोलियां चलाईं। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक गोली लगी तथा वे भूमि पर गिर पड़े परन्तु अन्तिम सांस लेने तक वे उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे।

यह देखने पर श्री भंगा रेंगते हुए तुरन्त कान्स्टेबल पीताम्बर राम की ओर बढ़े और उन्होंने श्री पीताम्बर राम को वहां से हटाया तथा दल के अन्य सदस्यों को उग्रवादियों पर प्रभावी ढंग से गोली चलाने के निर्देश दिए। इसी बीच दो कान्स्टेबल आगे बढ़े और उन्होंने एक आतंकवादी पर गोली चलाई तथा उसे घटना स्थल पर ही धराशायी कर दिया। शेष तीन आतंकवादी, बचने के लिए पुलिस दल पर गोली चलाते हुए अपने बचाव के लिए वहां से भाग निकले। श्री भंगा ने, 3-4 कार्मिकों को साथ लेकर उग्रवादियों का पीछा किया और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उग्रवादियों के नजदीक पहुंचे। उग्रवादियों ने श्री भंगा और उनके दल पर भारी गोली-बारी शुरू कर दी। यद्यपि, श्री भंगा के साथ एक छोटी पार्टी थी परन्तु उन्होंने एक उग्रवादी को घटना स्थल पर ही समाप्त कर दिया। शेष दो आतंकवादी गन्ने के खेतों की ओट में भाग निकले।

इस मुठभेड़ में श्री हरी राम भंगा, पुलिस अधीक्षक और श्री पीताम्बर राम, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 नवम्बर, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 121-प्रेज/91-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं—

अधिकारियों के नाम तथा पद:

श्री जगदीश सिंह भाटी, (मरणोपरान्त)
हैड कान्स्टेबल सं० 131,
जिला मुजफ्फरनगर।

श्री करतार सिंह,
कान्स्टेबल सं० 682,
जिला मुजफ्फरनगर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

जिला मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर की पुलिस चौकी के हैड कान्स्टेबल श्री जगदीश सिंह भाटी और कान्स्टेबल श्री करतार सिंह 2 अप्रैल, 1990 को लगभग 15.55 बजे राईफलों तथा कारतूसों से लैस होकर गश्त लगाने तथा सायंकाल की बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए रवाना हुए। गश्त लगाते हुए वे भराज पुल पर पहुंचे और वहां से बिजनौर से मुजफ्फरनगर जा रही एक प्राईवेट बस में चढ़े और हमेशा की तरह पीछे की सीट पर बैठ गए। लगभग 18.15 बजे बस कस्बा रोड से चौकी निजामपुर की तरफ चल दी। जब बस, जिसमें 25 यात्री थे, लगभग 18.30 बजे गांव निजामपुर के नजदीक कासमपुर खोला पर पहुंची तो उसे चार उग्रवादियों ने रोका और वे इसमें चढ़ गये, दो उग्रवादी आगे से चढ़े और दो उग्रवादी पीछे के दरवाजे से चढ़े। उनमें से एक ने तुरन्त अपनी पिस्तौल (तमंचा) ड्राईवर की कनपटी पर रख दी, उसे बस न चलाने की धमकी दी, जबकि ए० के० 47 राईफलों से लैस अन्य व्यक्तियों ने जोर से खालिस्तान के नारे लगाए और अपने साथियों को पुलिस दल पर गोली चलाने का आदेश दिया। पीछे वाले व्यक्ति पीछे के दरवाजे से तुरन्त जबरदस्ती बस में दाखिल हुए और यात्रियों और पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुन्ध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हैड कान्स्टेबल श्री जगदीश सिंह भाटी और कान्स्टेबल

करतार सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना तथा निर्दोष बस यात्रियों की जान बचाने के दृढ़ निश्चय से उग्रवादियों को ललकारा और अपनी राइफलों से जवाब में गोलियां चलाईं । दोनों तरफ से हुई गोली-बारी में ए० के०—47 राइफल से लैस एक उग्रवादी बस के अन्दर मारा गया और हेड कान्स्टेबल जगदीश सिंह भाटी ने, जो गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे, घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया । कान्स्टेबल करतार सिंह अकेले रह गए लेकिन वे विचलित नहीं हुए और उन्होंने उग्रवादियों को ललकारा और गोली-बारी करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप शेष उग्रवादी खालिस्तान का नारा लगाते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए । इस कार्रवाई में कान्स्टेबल करतार सिंह, बस का ड्राईवर और कन्डक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गए और बस भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई ।

इस घटना में श्री जगदीश सिंह भाटी, हेड कान्स्टेबल और करतार सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अप्रैल, 1990 से दिया जाएगा ।

सं० 122-प्रेज/91—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मैपाल सिंह (मरणोपरान्त)
हेड कान्स्टेबल,
सिविल पुलिस,
रामपुर ।

श्री महेन्द्र सिंह,
कान्स्टेबल,
सिविल पुलिस,
रामपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 अक्तूबर, 1988 को लगभग 11 बजे अपराह्न जब श्री मैपाल सिंह, हेड कान्स्टेबल श्री महेन्द्र सिंह, कान्स्टेबल तथा अन्य दो कान्स्टेबलों के साथ गश्ती ड्यूटी पर थे तो उन्हें एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धम्मान के अब्दुल सलाम के घर में डकैती डाली जा रही है श्री मैपाल सिंह अपने साथियों के साथ तुरन्त घटना स्थल गए । उन्होंने मोर्चा संभाला और डाकुओं को आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा । इसके उत्तर में डाकुओं ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और लूटे माल के साथ भागने की कोशिश की । इस कार्रवाई के दौरान श्री मैपाल सिंह ने एक डाकू को पकड़ लिया, जिसके साथ उनकी काफी देर तक हाथापाई होती रही । इसी बीच कान्स्टेबल महेन्द्र सिंह ने एक दूसरे डाकू को पकड़ लिया । अपने साथियों को पुलिस की गिरफ्त में देखकर शेष डाकुओं ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप कान्स्टेबल महेन्द्र सिंह के हाथ में चोट लग गई और डाकू ने अपने आपको पुलिस की पकड़ से मुक्त कर लिया और भाग गया । इसी बीच हेड कान्स्टेबल मैपाल सिंह को भी उनके सिर पर गोली लगने से गंभीर चोट लग गई । परन्तु श्री सिंह तथा उनके साथियों ने पकड़े हुए डाकू को हेड कान्स्टेबल की पकड़ से भागने नहीं दिया । पकड़े गए डाकू की "यूनुस" के रूप में शिनाख्त की गई, जो असलम उर्फ मोला के नेतृत्व वाले कुख्यात "मोला गिरोह" का सदस्य था । श्री मैपाल सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर श्री मैपाल सिंह की जख्मों के कारण बाद में मृत्यु हो गई । श्री मैपाल सिंह, हेड कान्स्टेबल ने अब्दुल सलाम और ग्राम धम्मान की सम्पत्ति को डाकुओं से बचाने के कार्य में अपना जीवन कुर्बान कर दिया ।

इस मुठभेड़ में श्री मैपाल सिंह, हेड कान्स्टेबल तथा महेन्द्र सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 अक्तूबर, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 123-प्रेज/91—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री राजेन्द्र सिंह राठौर,
उप-कमाण्डेंट,
सेक्टर हैडक्वार्टर,
सीमा सुरक्षा बल,
श्रीनगर ।

श्री किशन दास ठाकुर,
उप-निरीक्षक सं० 86455445,
102वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल,
श्रीनगर ।

श्री बंसी लाल,
हेड कान्स्टेबल सं० 68800003,
सेक्टर हैडक्वार्टर,
सीमा सुरक्षा बल,
श्रीनगर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18 जून, 1990 को लगभग 10.00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गैरकानूनी घोषित हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ कट्टर उग्रवादी, बगत बरजुल्ला, श्रीनगर में रफिक मजाजी के मकान में छिपे हैं । सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर हैडक्वार्टर उप-अधीक्षक श्री आर० एस० राठौर ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई और अपने कमाण्डो ग्रुप (उप-निरीक्षक के० डी० ठाकुर और हेड कान्स्टेबल बंसी लाल सहित) को संक्षिप्त में बताया और तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुए । चूंकि कार्रवाई दोपहर में की जानी थी इसलिए कार्रवाई के बारे में गोपनीयता बरतनी अत्यन्त महत्वपूर्ण थी । श्री राठौर ने इस विचार को ध्यान में रखा और वाहनों को उस मकान से कुछ दूरी पर छोड़ दिया और युक्तिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े और मकान को घेर लिया । सीमा सुरक्षा बल का दल जैसे ही घर के नजदीक पहुंचा, आतंकवादियों ने मकान की प्रथम मंजिल से भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी । श्री राठौर ने अपने आदमियों को तुरन्त मोर्चा संभालने के आदेश दिए और रेंगते हुए घर के प्रवेश द्वार की तरफ गए । उन्होंने दल को तत्काल तीन दलों में विभाजित किया और पहले दो दलों को क्रमशः सामने के दरवाजे और रसोई की तरफ से मकान में प्रवेश करने का निर्देश दिया ताकि उग्रवादियों को भागने का कोई अवसर न मिल सके । अपने दल के साथियों सहित श्री राठौर, तीसरे दल का नेतृत्व करते हुए निर्भीक होकर और उग्रवादियों को पकड़ने के दृढ़ निश्चय से रेंगते हुए प्रवेश द्वार तक गए । पहले दो दल मकान में दाखिल होने में कामयाब हो गए और उन्होंने भागने के सभी द्वार बन्द कर दिए । उसके बाद उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बीच लगभग उसी समय दोनों दल प्रथम मंजिल पर एक साथ पहुंच गए और उन्होंने एक सशस्त्र मुठभेड़ में एक उग्रवादी को दबोच लिया । दो कट्टर उग्रवादियों को दबोचने और निःशस्त्र करने की कार्रवाई के दौरान उप-निरीक्षक के० डी० ठाकुर और हेड कान्स्टेबल बंसी लाल गोली लगने से जख्मी हो गए । इसी बीच श्री राठौर भी अपने दल के कार्मिकों सहित प्रथम मंजिल पर पहुंचे और जब तीसरा उग्रवादी भागने की कोशिश कर रहा था तो वे उस पर झपट पड़े इस प्रकार से इस कार्रवाई में तीन उग्रवादी पकड़े गए जिनकी शिनाख्त बाद में अब्दुल्ला मलिक, रियाज अहमद, हाकीम और नासिर हुसैन मीर उर्फ इरफान के रूप में की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, उप-कमांडेंट, श्री किशन दास ठाकुर, उप-निरीक्षक और श्री बंसी लाल, हैड कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 जून, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर, 1991

संकल्प

सं० का० 4(5)/91 हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय के संकल्प संख्या का० 4(1)/90—हिन्दी, दिनांक 3 अगस्त, 1990 यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

क्रम संख्या 4 : श्री प्रफुल पाटिल,
सदस्य, लोक सभा — सदस्य

क्रम संख्या 5 : श्री अर्जुन सिंह यादव,
सदस्य, लोक सभा — सदस्य

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

देव राज तिवारी,
उप सचिव

औद्योगिक विकास विभाग

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1991

संकल्प

सं० डी० डब्ल्यू० आई०-64 (86)/डब्ल्यू० पी०/91/1133—भारत सरकार ने संकल्प सं० डी० डब्ल्यू० आई० 64(84)/डब्ल्यू० पी० दिनांक 15 सितम्बर, 1989 द्वारा वुड बेस्ड इन्डस्ट्रीज की विकास तालिका का गठन किया है।

विकास तालिका को अब निम्नलिखित गठन द्वारा इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाता है।

क्र०सं०	व्यक्ति/संगठन का नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री पी० डी० चितलांगिया, मै० शारदा प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता।	अध्यक्ष
2.	औद्योगिक सलाहकार (टिम्बर) तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	श्री एस० एम० माथुर, निदेशक, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	श्री सुशील कुमार, उप निदेशक, योजना आयोग।	सदस्य
5.	वन उप महानिरीक्षक, (सर्वेक्षण तथा उपयोग) वन महानिरीक्षक का कार्यालय, वन विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य
6.	श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
7.	डा० पी० एम० गणपति, निदेशक, इण्डियन प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलौर।	सदस्य
8.	श्री जी० रमण, निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली।	सदस्य
9.	कार्यकारी निदेशक, कैमिकल एण्ड एलाईड प्रोडक्टस एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौन्सिल, कलकत्ता।	सदस्य
10.	श्री एम० एम० जलान, मै० अरुणाचल प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज 113, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।	सदस्य

1	2	3
11.	श्री एस० एम० बाजाज्, अध्यक्ष, प्लाईवुड मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन आफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता ।	सदस्य
12	श्री हरीस चौहान, अध्यक्ष, अण्डमान वुड बेस्ड इन्डस्ट्रीज, एसोसिएशन, पोर्ट ब्लेयर, अन्डमान ।	सदस्य
13.	अध्यक्ष, साउथ इन्डिया प्लाईवुड मैन्यु० एसोसिएशन, राजन बिल्डिंग, त्रिवेन्द्रम ।	सदस्य
14.	अध्यक्ष, आसाम प्लाईवुड मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, आसाम ।	सदस्य
15.	श्री अरविन्द जौली, मै० जौली प्रौडक्ट्स लि०, बम्बई ।	सदस्य
16.	श्री एम० एन० पेरीवाल, मै० आसाम हार्ड बोर्ड्स के० लि० आसाम ।	सदस्य
17.	श्री अब्बास बाग, मै० डेकोरेटिव लेमिनेट्स (इं) प्रा० लि०, मैसूर ।	सदस्य
18.	श्री के० एस० शानी, मै० पार्टीकल बोर्ड्स मैन्यू० एसोसिएशन, बम्बई ।	सदस्य
19.	श्री ए० के० नाकरकुट्टी, मै० वेस्टर्न इन्डिया प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज, केरल ।	सदस्य
20.	श्री एम० पी० सारडा, मै० मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स, कलकत्ता ।	सदस्य
21.	श्री एस० पी० गोयंका, मै० किटप्लाई इन्डस्ट्रीज लि० कलकत्ता ।	सदस्य
22.	डा० एम० एन० सन्याल, हैड आफ डिवीजन फारेस्ट प्रोडक्ट फारेस्ट्स प्रौडक्टस रिसर्च, देहरादून ।	सदस्य
23.	डा० किशोर विट्ठल दास, मै० इंडियन प्लाईवुड मैन्यु० कं०, बम्बई ।	सदस्य
24.	श्री पी० बी० मेहता, कार्यकारी निदेशक, फैडरेशन आफ इंडियन प्लाईवुड, एण्ड पैनल इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली ।	सदस्य
25.	श्री ए० के० बनर्जी, विकास अधिकारी, तकविमनि०, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को संचारित की जाए । यह भी आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

मदन मोहन,
निदेशक (प्रशासन)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1991

संकल्प

सं० फा० 8-1/91-सी०एस०यू०—राष्ट्रपति, "हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता" की योजनागत स्कीम की विद्यमान विशेषज्ञ कार्यान्वयन समिति, जिसका गठन 23 फरवरी, 1987 के संकल्प सं० 7-1/87-सी० एस० यू० के अनुसार हुआ था, को अपने विचारार्थ विषयों के अन्दर सरकार को सलाह देने के लिए तत्काल से पुनर्गठित करते हैं ।

2 इस पुनर्गठित समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

1.	श्रीमती कोमल आनंद, संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा उनका नामित	सदस्य
3	सचिव (संस्कृति), जम्मू एवं काश्मीर शासन	सदस्य

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि । — सदस्य

5. श्री मोहन उप्रेती, अध्यक्ष, पर्वतीय कला केन्द्र, दिल्ली । — सदस्य

6. डा० बी० सी० ओहरी, पूर्व-निदेशक, हिमाचल प्रदेश संग्रहालय, शिमला । — सदस्य

7. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल का एक प्रतिनिधि । — सदस्य

8. उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, उत्तर-मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र एवं उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र का एक-एक प्रतिनिधि । — सदस्य

9. उप वित्तीय सलाहकार, संस्कृति विभाग । — सदस्य

10. निदेशक (यो०एवं समन्वय)/उ०स० (यो०) । — सदस्य

11. कल्याण मंत्रालय (आदिवासी विकास प्रभाग) का एक प्रतिनिधि । — सदस्य

12. उप-निदेशक (योजना)/अवर सचिव (सां० ह०) । — सदस्य सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

"हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण और विकास के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों, संस्थाओं, समितियों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की केन्द्रीय स्कीम के कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह देना" ।

4. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल आरम्भ में दो वर्ष होगा ।

5. समिति अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित करेगी ।

6. समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता से० नि० 190 के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को भेजी जाए और जन-साधारण की सूचनार्थ इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कोमल आनंद,
संयुक्त सचिव

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1991

संकल्प

सं० 1–36/90–सी० एस० डब्ल्यू० बी०—30 अगस्त, 1991 के संकल्प सं० 1–36/90–सी० एस० डब्ल्यू० बी० के अनुक्रम में भारत सरकार श्रीमती अमरजीत कौर को अगले आदेश होने तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहने की अनुमति प्रदान करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. श्रीमती अमरजीत कौर, अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
2. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य ।
3. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन ।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
5. राष्ट्रपति सचिवालय ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
7. प्रधानमंत्री का कार्यालय ।
8. योजना आयोग ।
9. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
10. प्रैस सूचना ब्यूरो ।
11. निदेशक लेखापरीक्षा एवं केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
12. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
13. कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
14. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी ला बोर्ड, कानपुर ।
15. राज्य समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड के सभी अध्यक्ष ।
16. सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के राज्यपालों/प्रशासकों/उप राज्यपालों/मुख्य आयुक्तों के निजी सचिव ।
17. मानव संसाधन विकास मंत्री/महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्री/सचिव के निजी सचिव ।
18. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के लिए संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

उमा पिल्लै,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd December 1991

No. 114-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Laxmi Narain Singh,
Havildar,
Distt. Ranchi.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 20th January, 1989, Shri Ravindra Kumar, Assistant Commissioner of Police, Ranchi was informed by one Shri Charku Tirkey that while he was proceeding towards Khatenga Basti via Morhabadi Maidan he was suddenly stopped and surrounded by three persons with daggers and pistols, threatened him to get off his motorcycle and drove away on his motorcycle towards Boraya. At once Shri Ravindra Kumar directed the City Control room to chase the culprits. On receipt of directions Shri Shivajee Singh, Dy. Supdt. of Police alongwith Shri Suresh Singh, Assistant Sub-Insp. left in a jeep while Shri Ravindra Kumar, Asstt. Sub-Inspector of Police alongwith his bodyguard Shri Laxmi Narain Singh, Havildar Shri S. N. Chauhan, Inspector and Shri N. P. Singh, Inspector left in his vehicle. On reaching Hochar-Chandwa Road they noticed three miscreants going on a red coloured motor cycle bearing No. 7007 who on seeing the police following them increased their speed. The Police party headed by ASP, Ranchi followed close and asked the miscreants to surrender but was replied with indiscriminate firing, one of which hit Shri Laxmi Narain Singh, Havildar resulting in serious injuries to him. Shri Singh undeterred with pain and agony shouted aloud and returned the fire. In the meantime ASP, Ranchi Shri Ravindra Kumar, ASI Shri Suresh Singh all opened fire towards the criminals who sustained serious injuries and with no other alternative surrendered to the police party. On search, two country made pistols with ammunition and a dagger were recovered together with the motor cycle from the criminals. The three criminals were identified as Raju, Sanjay Mahto and Basant Mahto and were sent to RMCH Hospital for treatment where one of them was declared dead by the doctor, Shri Laxmi Narain Singh, Havildar was admitted in State Government Hospital for treatment.

In this encounter, Shri Laxmi Narain Singh, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th January, 1989.

No. 115-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri R. K. Sharma,
Commandant,
29, Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

Shri R. K. Sharma, Commandant, 29 Battalion, Central Reserve Police Force got information on the 24th July, 1988 that some armed terrorists were hiding in one of the farm houses of village Pakhopura. Shri R. K. Sharma with his party rushed to the spot to nab the terrorists. The moment this party reached close to the concerned farm house, the extremists started heavy firing on them with automatic weapons. Without wasting any time, Shri Sharma ordered his party to take position and returned the fire. Shri Sharma himself tactically moved forward despite heavy firing from extremists without caring for his personal safety. When he could manage to reach near the hiding place, he effectively fired on the extremists killing one of them on the spot. The exchange of firing between the police party and the extremists continued for some time. During this firing two other extremists received serious bullet injuries. Finding themselves appropriately cornered, the extremists started running away while continuing firing at the chasing party. Shri Sharma alongwith other party personnel chased the fleeing extremists without caring for the heavy firing from the extremists. This chase continued for about 4-5 Kms. Two of the four extremists jumped into Beas river in order to escape into Mand area but they could not swim across and were drowned in the river with their rifles. The other two extremists were also injured but they managed to escape in the Mand area. The dead extremist was later identified as Satnam Singh alias Satta of village Bharowal.

In this encounter Shri R. K. Sharma, Commandant, 29 Battalion, Central Reserve Police Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th July, 1988.

No. 116-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Railway Protection Force :—

Name and rank of the officer

Shri R. Rajendran Pillai, (Posthumous)
Naik,
Railway Protection Force,
Southern Railway.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 1st June, 1990 Shri R. Rajendran Pillai Naik was on Seal Check Duty at Ernakulam. At about 0040 hours while one Smt. Valsala was boarding a train at Ernakulam Junction, her chain was snatched by a criminal. Immediately Smt. Valsala raised an alarm as the criminal took to his heels with a portion of the chain. Shri Pillai who was on duty at the platform at the time of incident, heard the cries of the lady and other passengers, he chased the culprit at great personal risk. He caught hold of the culprit and held on to him inspite of threats by the criminal with dire consequences, who was armed with a knife. In the scuffle which ensured, the culprit stabbed Shri Pillai with his knife on the left side of his chest which pierced the left ventricle of his heart and made good his escape. Shri Pillai was rushed to Medical Trust Hospital and admitted in Intensive Care Unit but inspite of best treatment, he succumbed to his injuries.

In this incident Shri R. Rajendran Pillai, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st June, 1990.

No. 117-Pres/91.—The President is pleased to award Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Mohd. Mustafa,
Assistant Superintendent of Police,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 19th November, 1988, information was received that some terrorists belonging to Bakhshish Singh's gang were hiding in the area between Chhana Chugian and Bhai Ladhu, a joint contingent of Punjab Police and CRPF personnel (including Shri Mohd. Mustafa, Assistant Supdt. of Police) launched a combing operation. The Police force

was divided in different groups. The party led by an Assistant Commissioner of CRPF was fired upon by the extremists from inside the farm house of Bhai Ladhu. In the face of heavy firing from Police party, the terrorists started running towards village Bhai Ladhu. Inspite of heavy firing from both sides, Shri Mustafa without caring for his personal safety, kept on chasing the fleeing terrorists. On seeing themselves trapped from all sides, the terrorists tried to enter into the sugar-cane field. Shri Mustafa fired on the terrorists and forced them to retreat. While three of them succeeded to retreat by taking cover of Packa Khal, the remaining two took positions in the Kacha-Packa Khal and started lobbing shells with rocket launchers and also opened fire with assault rifles on the Police party. Shri Mustafa crawled forward and reached near the place where the terrorists were hiding. Shri Mustafa succeeded in killing two terrorists. The remaining 3 terrorists, who had taken position in the Pacca Khal kept on firing on the Police party. The exchange of fire continued for about half an hour, as result of which the remaining three terrorists were killed. In all five extremists were killed, out of them three were later identified as Gurdev Singh, Sukhraj Singh and Bakhshish Singh.

In this encounter, Shri Mohd. Mustafa, Assistant Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th November, 1988.

No. 118-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Sita Ram,
Deputy Superintendent of Police,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 6th August, 1989, Commandant of 33 Battalion, Central Reserve Police Force alongwith his escort party and Punjab Police personnel were going from Khadur Sahib towards village Dulchipur in order to check suspected farm houses/deras. At about 11.45 AM when the police party reached near the farm house of one Shri Sukhchain Singh of village Khadur Sahib, the party was fired upon heavily from inside the farm house. The Police personnel got down from their vehicles, took positions and returned the fire in self defence. The Commandant of 33 Battalion, CRPF informed the Control Room, Amritsar about this and asked for re-inforcement.

After some time Shri Sita Ram, Deputy Supdt. of Police, Tarn Taran alongwith other officers/men reached the spot and took stock of the situation. As per directions from the senior officers, he alongwith his gunmen and CRPF personnel climbed on the roof top of the farm house. Shri Sita Ram fired inside the house after making holes in the roof.

The encounter lasted for about five hours. Shri Sita Ram received bullet injury in his chest just below the heart and he was rushed to S. G. T. B. Hospital, Amritsar for treatment. When the firing from the side of extremists stopped, a search was carried out and three dead bodies of extremists were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Sita Ram, Deputy Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th August, 1989.

No. 119-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Karnail Singh,
Deputy Superintendent of Police,
District Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 20th February, 1991, Shri Karnail Singh, Deputy Supdt. of Police posted at Jahan Khelan was on leave and was in his village Fatehgarh Korotana, Distt. Ferozepur. He alongwith his family and two guests viz. Iqbal Singh and Balbir Singh of the same village were also present and Shri Balbir Singh had parked his Maruti van in front of the house at the road side. At about 7.30 p.m. three persons jumped the boundry wall and entered the house. One of them was having AK-47 rifle and a bandolier on his shoulder, while the other two were unarmed. The man having rifle demanded diesel as they had no diesel in their jeep, parked outside the house. Shri Karnail Singh asked them that they had no diesel. At this, the man with the assault rifle, pointed his rifle at Shri Karnail Singh and asked whether he will give diesel or not. Shri Karnail Singh atonce caught hold of the barrel of the rifle and turned the muzzle upward. At this, the man holding the rifle triggered four shots. In the meantime, Shri Iqbal Singh and Shri Balbir Singh grappled with the others. Shri Karnail Singh hit the man having rifle with his leg behind knee, the terrorist fell down and Shri Karnail Singh took possession of the rifle and the bandolier. Meanwhile one of them opened the outer door of the house and all the three fled away.

Shri Karnail Singh immediately ran towards the roof of the house. On reaching there he saw four associates of the terrorists, who were standing outside the house. They started firing with automatic weapons on Shri Karnail Singh. He returned the fire with the assault rifle snatched from the terrorist. In the meantime the police personnel posted at Police Post Fatehgarh Koratana and some villagers having defence rifles reached there and started firing on the terrorists. The terrorists ran away to the nearby fields leaving behind their jeep.

In this encounter Shri Karnail Singh, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th February, 1991.

No. 120-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :—

Name and rank of the officers

Shri Hari Ram Banga,
Supdt. of Police (Operations),
District Majitha.

Shri Godawar Ram, (Posthumous)
Constable No. 4587,
District Majitha.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 22nd November, 1989, Shri Hari Ram Banga, Supdt. of Police (Operations), District Majitha alongwith Punjab Police/Para Military personnel (including Constable Godawar Ram) were carrying out search in the area of village Ptu Bhila, Police Station Kathu Nangal. When the party reached near a farm house, the extremists who were hiding in the sugarcane fields suddenly opened fire with automatic weapons on the Police party. Shri Banga had a narrow escape and sharply reacted to the situation. He fired on the extremists and also directed his party personnel to neutralise the extremists fire. While the firing was going on, Constable Godawar Ram advanced towards the extremists's position and fired bravely on them. In the process one bullet hit him and he fell on the ground but he kept on firing on the extremists till he breathed his last.

On seeing this, Shri Banga immediately crawled towards Constable Godawar Ram and evacuated him and also

directed other members of the party to fire effectively on the extremists. In the meantime two Constable advanced and fired on one of the extremists ran for safety while still firing on the Police party. Then Shri Banga alongwith 3-4 personnel chased the extremists and established contact after covering a distance of about 5 Kilometres. The extremists opened heavy fire on Shri Banga and party. Although Shri Banga was having a small party yet he was able to neutralise one of the extremists on the spot. The remaining two extremists escaped taking cover of sugar-cane fields.

In this encounter Shri Hari Ram Banga, Supdt. of Police and Shri Godawat Ram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd November, 1989.

No. 121-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Jagdish Singh Bhati, (Posthumous)
Head Constable No. 131,
Distt. Muzaffarnagar.

Shri Kartar Singh,
Constable No. 662,
Distt. Muzaffarnagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd April, 1990 at about 15.55 hours Shri Jagdish Singh Bhati, Head Constable and Shri Kartar Singh, Constable of Deval Police Out Post, Police Station Mirapur, Distt. Muzaffarnagar armed with rifles and cartridges, left for patrolling and protection of passengers travelling by evening buses. While patrolling they reached Baraj Bridge and from there they boarded a private bus going from Bijnor to Muzaffarnagar and took a seat in the rear as usual. The bus left the bridge at about 18.15 hours towards Chaukl Nizampur on 'Kachha' Road. When the bus with about 25 passengers reached Kasampur Khola near village Nizampur at about 18.30 hours, it was topped and boarded by four terrorists, two from the front and two from the rear. One of them immediately put his pistol (Tamancha) on the temple of driver and threatened him not to move the bus, while the other men armed with Ak-47 rifles shouted Khalistan slogans and ordered his associates to fire on the Police party. At once the men in the rear forced their entry into the bus from the rear and started indiscriminate fire on the passengers and Policemen, Shri Jagdish Singh Bhati, Head Constable and Shri Kartar Singh, Constable without caring for their lives and with a determined mined to save the lives of innocent bus passengers, shouted at the terrorists and returned the fire with their rifles. In the exchange of fire one terrorist armed with AK-47 rifle was killed inside the bus and Head Constable Jagdish Singh Bhati who was seriously injured died on the spot. Constable Kartar Singh was left alone, but still undeterred, he challenged the terrorists and kept on firing as a result of which the remaining terrorists escaped under cover of fire shouting Khalistan slogans. In the process Shri Kartar Singh, Constable, the driver and conductor of the bus were badly injured and the bus was also badly damaged.

In this incident Shri Jagdish Singh Bhati, Head Constable and Shri Kartar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible undre rule 5, with effect from the 2nd April, 1990.

No. 122-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Malpal Singh, (Posthumous)
Head Constable,
Civil Police,
Rampur.

Shri Mahendra Singh,
Constable,
Civil Police,
Rampur

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 29th October, 1988, at about 11 PM Shri Malpal Singh, Head Constable alongwith Shri Mahendra Singh, Constable and two other Constables while on patrol duty received an information that a dacoity was being committed in the house of Abdul Salam of Village Dhamman. Immediately Shri Malpal Singh alongwith his associates rushed to the scene of occurrence took position and challenged the dacoits to surrender. The dacoits responded with indiscriminate firing and tried to escape with the looted property in the course of which Shri Malpal Singh caught hold of one dacoit with whom a prolonged scuffle took place, while constable Mahendra Singh caught hold of another dacoit. The remaining dacoits seeing their accomplices in Police custody opened indiscriminate fire as a result of which Constable Mahendra Singh was injured on his head and the dacoit freed himself from the hold of the Constable and ran away. In the meantime Head Constable Malpal Singh also received fatal gun shot on his head, but he and his associates did not allow the arrested dacoit to free himself from the grip of the Head Constable. The arrested dacoit was identified as 'Yunus' member of registered Inter Range 'Bhonda Gang' led by Aslam @ Bhonda. Shri Malpal Singh and Shri Mahendra Singh were taken to hospital where Shri Malpal Singh succumbed to his injuries. Shri Malpal Singh, Head Constable, laid down his life in the course of trying to save the property of Abdul Salam and village Dhamman from the dacoits.

In this incident Shri Malpal Singh, Head Constable and Shri Mahendra Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, Courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th October, 1988.

No. 123-Pres/91.—*The President is pleased to award* the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Names and rank of the officers

Shri Rajendra Singh Rathore,
Deputy Commandant,
Sector Headquarter,
Border Security Force,
Srinagar

Shri Kishan Dass Thakur,
Sub-Inspector No. 66455445,
102 Battalion,
Border Security Force,

Shri Bansi Lal,
Head Constable No. 66500003,
Sector Headquarter,
Border Security Force,
Srinagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 18th June, 1990 at about 10.00 hours an information was received that some hard-core militants of outlawed Hizbul Mujahideen were hiding in the house of Rafiq Punjabi at Bhagat Barzulla, Srinagar. Shri R. S. Rathore, Deputy Commandant of Sector Headquarters, BSF immediately planned the operation, briefed his commando group (including Sub-Inspector K. D. Thakur and Head Constable Bansi Lal) and rushed to the spot. As the operation was to be carried out in the broad day light, maintenance of surprise was of utmost importance. Shri Rathore kept this point in view, left the vehicles at some distance from the house and tactically moved and cordoned the house. As the BSF party reached near the house, the terrorists opened

heavy fire from first floor of the house. Shri Rathore immediately directed his men to take positions and crawl towards the entrance door of the house. He immediately divided the party into three groups and directed the first two groups to enter the house from front door and the kitchen side respectively so as to ensure that the militants could not get any chance to escape. The third group led by Shri Rathore undaunted and determined to apprehend the militants crawled upto the entrance door alongwith his party. The first two groups succeeded in entering the house and blocked all the escape routes. But the groups then reached the first floor almost simultaneously under heavily fire from the militants and over-powered one of the militants after an armed encounter. Sub-Inspector K. L. Thakur and Head Constable Bansi Lal sustained bullet injuries while over-powering and disarming the two hard-core militants. In the meantime Shri Rathore alongwith his party personnel also reached the first floor and jumped on the third militant, when he was trying to escape. Thus in this operation three militants were apprehended, who were later identified as Abdullah Bangroo, Riaz Ahmad Hakim and Nazir Hussain Mir alias Irfan.

In this encounter Shri Rajendra Singh Rathore, Deputy Commandant, Shri Kishan Dass Thakur, Sub-Inspector and Shri Bansi Lal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th June, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 13th November 1991

RESOLUTION

No. F.4(5)/91-Hindi.—In the Ministry of Parliamentary Affairs' Resolution No. F.4(1)/90-Hindi dated 3rd August, 1990, as amended, the following amendments are made :—

Members

(4) Shri Prafula Patil, Member, Lok Sabha.

(5) Shri Arjun Singh Yadav, Member, Lok Sabha.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

D. R. TIWARI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 19th November 1991

No. DWI-64(85)/WP/91/1133.—Government of India constituted a Development Panel for Wood Based Industries vide Resolution No. DWI-64(84)/WP dated 15-9-89.

This Development Panel is now hereby re-constituted with the following composition for a period of two years from the date of issue of this resolution.

S. No., Name of the Person/Organisation & Designation

Chairman

1. Shri P. D. Chitlangia,
M/s. Sarda Plywood Industries,
Calcutta.

Members

2. Industrial Adviser (Timber),
Directorate General of Technical Development (DGTD),
New Delhi.

3. Shri L. M. Mathur,
Director,
Office of DC (SSI),
New Delhi.

4. Shri Sushil Kumar,
Deputy Director,
Planning Commission.

5. Deputy Inspector General of Forest,
(Survey & Utilisation),
Office of Inspector General of Forests,
Department of Forests,
New Delhi.

6. Shri Mohinder Singh,
Director,
Mjnistry of Industry,
New Delhi.

7. Dr. P. M. Ganapathy,
Director,
Indian Plywood Industries Research Institute,
Bangalore.

8. Shri G. Raman,
Director, Civil Engineering,
Bureau of Indian Standards,
New Delhi.

9. Executive Director,
Chemicals & Allied Products,
Export Promotion Council,
Calcutta.

10. Shri M. M. Jalan,
M/s. Arunachal Plywood Industries,
113, Park Street,
Calcutta.

11. Shri N. M. Chachan,
President,
Plywood Manufacturers Association,
of West Bengal,
Calcutta.

12. Shri Harish Khaitan,
President,
Andaman Wood Based Industries Association,
Port Blair,
Andaman.

13. President,
South India Plywood Mfrs. Association,
Rajan Villa,
Trivandrum.

14. President,
Assam Plywood Manufacturers Association,
Assam.

15. Shri Arvind Jolly,
M/s. Jolly Products Ltd.,
Bombay.

16. Mr. M. L. Periwal,
M/s. Assam Hard Boards Co. Ltd.,
Assam.

17. Shri Abbas Wagh,
M/s. Decorative Laminates (I) Pvt. Ltd.,
Mysore.

18. Mr. K. S. Lauly,
M/s. Particle Boards Mfrs. Association,
Bombay.

19. Mr. A. K. Kadankutty,
M/s. Western India Plywood Industries,
Kerala.

20. Shri H. V. Sharda,
M/s. Manglam Timber Products,
Calcutta.

21. Mr. S. P. Goenka,
M/s. Kitply Industries Ltd.,
Calcutta.

22. Dr. S. N. Sanyal,
Head of Division Forest Produc.,
Forests Products Research,
Dehradun.

23. Dr. Kishore Vithaldas,
M/s. Indian Plywood Mfg. Co.,
Bombay.

24. Shri P. V. Mehta,
Executive Director,
Federation of Indian Plywood
& Panel Industries,
New Delhi.

25. Shri A. K. Chatterjee,
Development Officer,
DGTD, Udyog Bhawan,
New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Administration)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 31st October 1991

RESOLUTION

No. F.8-1/91-CSU.—The President is pleased to reconstitute the existing Expert Committee on implementation of the plan scheme "Financial Assistance for Preservation and Development of Cultural Heritage of Himalayas", which was constituted vide Resolution No. 7-1/87-CSU dated the 23rd February 1987, with immediate effect to advise the Government within its terms of reference.

2. The composition of this Re-constituted Committee will now be as under :

Chairperson

1. Smt. Komal Anand, Joint Secy.

Members

2. Director General, Archaeological Survey, of India or his nominee.

3. Secretary (Culture), Government of Jammu and Kashmir.

4. A representative of the University Grants Commission.

5. Shri Mohan Upreti, President, Parvitiya Kala Kendra, Delhi.

6. Dr. V. C. Ohri, Ex-Director, Himachal Pradesh, Museum Simla.

7. A representative of Rashtriya Manav, Sangrahalaya Bhopal.

8. One representative each from NEZCC, NCZCC & NZCC.

9. Dy. Financial Adviser, Deptt. of Culture.

10. Director (P&C)/DS (P).

11. One representative of the Ministry of Welfare (Tribal Dev.),

Member-Secretary

12. Dy. Dir. (Plg)/US (CH).

3. The terms of reference of the Committee will be as under :

"To advise the Government on the implementation of the Central Scheme of Financial Assistance to Voluntary Cultural Organisations, Institutions, Societies, Universities, Colleges, Individuals for the Preservation and Development of Cultural Heritage of the Himalayas".

4. The terms of the office of the non-official members will be for a period of 2 years in the first instance.

5. The Committee will hold its meetings as often as necessary.

6. T.A. and D.A. to non-official members for attending the meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provisions of S.R. 190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories and that the Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

KOMAL ANAND, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 26th November 1991

RESOLUTION

F. No. 1-36/90-CSWB.—In continuation to Resolution No. 1-36/90-CSWB dated the 30th August 1991, the Government of India is pleased to allow Smt. Amarjit Kaur to continue as Chairman of Central Social Welfare Board until further orders.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to

1. Smt. Amarjit Kaur, Chairman, Central Social Welfare Board, New Delhi.

2. All the Members of the Central Social Welfare Board.

3. All the State Governments, Union Territory Administrations.

4. All the Ministries/Departments of the Government of India.

5. President's Secretariat.

6. Cabinet Secretariat.

7. Prime Minister's Office.

8. Planning Commission.

9. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

10. PIB.

11. Director of Audit & Central Revenues, New Delhi.

12. Department of Company Affairs, New Delhi.

13. Registrar of Companies, New Delhi

14. Regional Director, Company Law Board, Kanpur

15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

16. PSs to Governors/Administrators/Lt. Governors/Chief Commissioners to All States/UT Administrations.

17. PSs to Human Resource Minister/Minister of State for Women & Child Development/Secretary

18. Executive Director, Central Social Welfare Board.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information

UMA PILLAI, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991.